देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

अंक –2019/ACI/01

गुरुवार, 13 जून 2019

कहानी गोपालपुरा बाईपास रोड की#भाग-1

आगे सरकार विकास करती रही पीछे से बिना नियम कायदों के कोचिंग मंडी बसती गयी|

2016 में हाईकोर्ट के आदेश पर लालकोठी से हटे कोचिंग इंस्टिट्यूट

रिहायशी क्षेत्र में 1000 कोचिंग सेंटर, 118 ही सील होंगे

वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता घासीलाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज.उच्च न्यायालय द्वारा आवासीय क्षेत्र में बिना सेटबैक छोड़े,बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए बनाये गए मानदंडो(300 वर्ग-मीटर का न्यूनतम क्षेत्र/ऍफ़.ए.आर,बेसमेंट प्रचलित संस्थानिक नियमों के अनुसार/वाणिज्यिक,संस्थानिक,मिश्रित उपयोग वाले भूखंडों में ही अनुज्ञेय/प्रत्येक कक्ष में दो द्वार,प्रत्येक तल पर प्रवेश,निकास हेतु दो सीढियाँ/कार्नर और डेड एंड पर स्थित भूखंडों पर अनुज्ञेय नहीं/अग्निशमन और जिला शिक्षा अधिकारी की NOCआदि) को पूरा किये,चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरंत हटाये जाने के आदेश दिए थे|इस इस फैसले का असर यह रहा कि लाल कोठी क्षेत्र से तो इन कोचिंग संस्थानों की छुट्टी हो गयी परन्तु यहाँ से हटते ही इन्होने गोपालपुरा बाई पास रोड पर अपने पैर ज़माने दिए|

कहाँ गए मैरिज गार्डन?

कोचिंग संस्थानों के आने से पहले यह सड़क मैरिज गार्डनों के लिए प्रसिद्द थी,परन्तु आज इक्का दुक्का गार्डनों को छोड़ कर इन सब मैरिज गार्डनों के स्थान पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर व्यवसायिक कोम्पेल्क्स बना दिए गए है|और जो बचे हुए है वो भी कोम्प्लेक्स बनाने की जुगाड़ में लगे हुए है|

गोपालपुरा बाईपास रोड को 160 फिट रोड बनाने का प्रोजेक्ट

वर्ष 2017 में गोपालपुरा बाईपास रोड को 160 फिट चौड़ी और बारह लेन रोड करने के प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए, जनता और राजनैतिक दलों के भारी विरोध के बीच जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा द्वारा भारी लवाजमे के साथ, इस रोड पर स्थित 450 मकानों,दुकानों को ध्वस्त किया गया और इस सड़क को आदर्श सड़क बनाने की कवायद की गयी|परन्तु अतिक्रमियों ने यहाँ पर भी अपना रंग दिखाते हुए इस सड़क को अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों से पाट दिया|160 फिट सड़क होने के बावजूद वही पुरानी समस्याएँ जैसे अवैध निर्माण,अतिक्रमण,अवैध पार्किंग,प्रदुषण,कोलाहल,अपराध आदि ने अपने पैर ज़माने चालु कर दिए है|

गोपालपुरा बायपास पर कार्रवाई का दूसरा दिन...

कार्रवाई में सुरक्षा मानकों में फेल जेडीए, दिखी अव्यवस्थाएं, चोरी चले गए पानी-बिजली मीटर के साथ-साथ लाखों की लाइटें और अन्य वस्तुएं

बरसों में खड़े किए 'सपने', मिनटों में जमींदोज

01 किलोमीटर है लम्बाई हिस्सा | 225 नोटिस जारी किए | 450 निर्माण है प्रभावित | 205 निर्माण हटाए जा चुके | 35 से ज्यादा निर्माण पर है स्टे

नहीं दिखा कोई विरोध गिराईं इमारतें

ये जेडीसी बने रहे, निर्माण होते गए

- डी.बी. गुप्ता
- अशोक जैन
- उमेश कुमार
- सुधांश पंत
- कुलदीप रांका
- एन.सी. गोयल
- कुलदीप रांका
- अभय कुमार
- डी.बी. गुप्ता
- शिखर अग्रवाल

मूकदर्शक बना रहा प्रशासन

बिजली का पोल गिरा, बाइक दबी

यातायात बंद बेरिकेड लगाए

लापरवाही भी

ऐसी जल्दी कि लोगों की जान पर बन आई

विरोध नहीं,200 पुलिसकर्मी हटाए

Fri, 22 September 2017 epaper.patrika.com

सिटीजन .04

गोपालपुरा बायपास पर जेडीए की कार्रवाई : जनता की राह हुई आसान, दुकानदारों की मुश्किल...

सड़क खाली, आंखें भरीं

क्या फिर बच जाएंगे असली जिम्मेदार?

राजस्थान पत्रिका . जयपुर, गुरुवार, 21.09.2017

160 फीट चौड़ी करनी है सड़क

450 निर्माण आ रहे हैं इसकी जद में

125 निर्माण तोड़े पहले दिन

सैकड़ों मकानों-दुकानों पर चलाए बुलडोजर

कालेधन : यूपीए के वक्त तैयार रिपोर्ट

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री बोले

छात्र ने लिखा.. सुसाइड को बोल

हटाया अरमानों का 200 ट्रक मलबा

कार्रवाई का तीसरा दिन... | 100 निर्माण भी तोड़े | जगह साफ करने के बाद फिर तेज हो सकती है कार्रवाई

तोड़फोड़ पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार

चार बेटे-एक दुकान, वह भी टूट जाएगी... कोई तो बचा लो

हंगामा, कांग्रेस

धूल के गुबार, आंखों में आंसू

गहलोत से मिले व्यापारी

Sat, 23 September 2017 epaper.patrika.com

गोपालपुरा बायपास का मामला: कोचिंग सेंटर, पार्किंग व जाम से परेशान व्यापारी, अब हुए एकजुट

पहले चौड़ी की सड़क, फिर गला घोंटा

पत्रिका न्यूज पंच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. शहर की राहों को सुगम बनाने की मुहिम में नौकरशाहों का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। गोपालपुरा बायपास को 160 फीट चौड़ा करने के लिए पहले निर्माण तोड़े गए,अब उसी सड़क को अतिक्रमियों के हवाले कर दिया गया। गोपालपुरा बायपास व्यापार मण्डल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर, इससे सड़क पर वाहनों की पार्किंग, जाम आदि को लेकर मंडल की ओर से जेडीए, यातायात पुलिस व महापौर को अंतिम पत्र लिखा जाएगा। समस्या का समाधान नहीं होने पर व्यापारी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं।

सरकारी मशीनरी ही कर रही अवहेलना

नगरीय विकास विभाग ने 28 मई, 2015 को परिपत्र जारी कर कोचिंग सेंटर स्थल के परीक्षण की जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की थी। उन्हें यहां कक्षा का क्षेत्रफल, आकार, बैठने की व्यवस्था, कोचिंग संबंधित सुविधाएं, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति देखना था। शिक्षा अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाद ही संबंधित नगरीय निकाय, प्राधिकरण इस गतिविधि को अनुज्ञेय करता। लेकिन कागजी साबित हुआ।

बायपास जितना चौड़ा किया गया, उतनी ही परेशानी बढ़ गई है। हालात से स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी भी त्रस्त हैं। अवैध कोचिंग सेंटरों से स्थिति बिगड़ रही है। जेडीए व यातायात पुलिस को एक बार और स्थिति से अवगत कराएंगे।
पवन गोयल, अध्यक्ष, गोपालपुरा बायपास व्यापार मण्डल

सवाल

यहां हटाए तो वहां कैसे हो रहा संचालन

हाईकोर्ट के आदेश से लालकोठी क्षेत्र से कोचिंग सेंटर बंद करा दिए। ये सेंटर गोपालपुरा बायपास पहुंच गए। इन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं अफसरों पर थी, जिन्होंने लालकोठी से अवैध कोचिंग सेंटर बंद करवाए थे, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। गोपालपुरा बायपास पर 4 दर्जन से ज्यादा बड़े कोचिंग सेंटर पहुंच गए, जो अब तक लालकोठी में 'कारोबार' कर रहे थे।

Wed, 20 June 2018 epaper.patrika.com/c/40199818

किसने दी गार्डनों पर व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति?

सवाल यह है कि 2016 से पहले जिन भूखंडों पर बिना भूमि रूपांतरण कराये कृषि भूमि पर मैरिज गार्डन चल रहे थे उन पर एकाएक कैसे व्यावसायिक कोम्प्लेक्स खड़े हो गए?जबकि इन भूखंडों का टाईटल खेती की जमीन के रूप में था|स्पष्ट है कि इन कृषि भूमियों पर आनन फानन में हाउसिंग सोसायिटीयों ने गैर-जिम्मेदाराना और गैर क़ानूनी रूप से बेक डेट में पट्टे बना दिए|जबकि वर्ष 2017 से मास्टर प्लान को लेकर भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगी हुई है|अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज इस रोड पर जितने भी कोम्प्लेक्स खड़े हुए है,उनमे से अधिकांश बिना जे.डी.ए./नगर निगम की अनुमति के बेकडेट के गैरकानूनी और अवैध सोसाईटी पट्टों के आधार पर बनाये गए है और अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे है|

लाखों का किराया बना, अवैध कोचिंग मंडी के पनपने की वजह

इस रोड पर कोचिंग संस्थानों के पनपने की वजह कोचिंग संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला मोटा किराया है,जिसके लालच में देखते ही देखते यह सड़क कोचिंग मंडी के रूप में तब्दील हो गयी,ऐसा नहीं है कि इन अवैध निर्माणों के समय यहाँ जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारियों की गाड़ियां नहीं घूमी हो,परन्तु मोटी न्योछावर मिलने के कारण वह गाड़ियां कभी कार्यवाही करने दुबारा नहीं आई|

आबाद होते गए कोचिंग सेंटर्स,साथ ही होने लगे अन्य अवैध निर्माण(होटल,बार,रेस्टोरेंट्स,शराब की दुकाने,होस्टल,लाईब्रेरी,आदि)

आज अगर गोपालपुरा बाईपास रोड की स्थिति देखें तो यहाँ पर 200 की संख्या में छोटे बड़े सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित है साथ ही यहाँ पर आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अवैध रूप से होस्टल,लाईब्रेरी,होटल,रेस्टोरेंट्स,बीयर-बार,हुक्का बार और बड़ी-बड़ी शोरुमनुमा शराब की दुकानों की भी भरमार हो गयी है|इसके साथ ही सुनने में आया है कि यहाँ पर नशे का कारोबार भी फलने-फूलने लगा है|जिसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है और वह पढाई की जगह नशे के दलदल में खींचते चले जा रहे है|

जल्द बनेंगे नए नियम • जयपुर में ही 2400 से ज्यादा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी हैं

अब घरों में चल रहीं लाइब्रेरी सीज होंगी

दुर्गासिंह राजपुरोहित | जयपुर

प्रदेश के शहरों में अब घरों के अंदर संचालित अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भी सील और सीज की जाएगी। अकेले जयपुर में ही 2400 से ज्यादा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी खुल गई हैं। जिनमें दिनभर युवक-युवतियां पढ़ाई के लिए बैठते हैं। उनको प्रति घंटा शुल्क लिया जाता है और किसी प्रकार के फायर फाइटिंग सिस्टम या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में उतरने के लिए भी बहुत छोटे गेट के नीचे सीढ़ियां रखी होती हैं।

सरकार निकायों को पावर देने जा रही है कि वे ऐसी लाइब्रेरी को रुकवाएं या भारी जुर्माना लगाकर नियमित करें। स्वायत शासन विभाग इस संबंध में चौक गया कि एकाएक कुछ ही साल में इतनी बड़ी संख्या में घरों में कॉमर्शियल लाइब्रेरी खुल गईं, जिनको रोकने के लिए फिलहाल कोई नियम नहीं है। सरकार को मिली शिकायतों के अनुसार इन लाइब्रेरी में से 99 फीसदी के पास कोई पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है।

स्वायत शासन विभाग के अफसरों के स्तर पर गाइड लाइन पर गंभीरता से काम होगा। स्वायत शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि यह तो बहुत गंभीर है कि बिना किसी लाइसेंस के इतनी बड़ी संख्या में अवैध लाइब्रेरी घरों में चल रही है। उन्होंने कहा कि इनके लिए जल्द नए नियम और निर्देश जारी होंगे। अभी तक तो निकाय केवल अवैध दुकान, थड़ी, मॉल, होटल-रेस्टोरेंट आदि ही सीज करते रहे हैं। अवैध डेयरियों को भी हटाया गया। लेकिन अब लाइब्रेरी की नई समस्या खड़ी हो गई है। जानकारों के अनुसार पिछले दो साल में ही पूरे प्रदेश के बड़े शहरों में 8 हजार से अधिक लाइब्रेरी घरों में खुल चुकी है।

चल रहे है बिना फायर NOC कर बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स और प्लाईवुड,लकड़ी के बड़े-बड़े गौदाम

इस रोड पर सैकड़ों कोचिंग संस्थानों के बीच जहाँ हजारों बच्चों की रोज आवाजाही होती है,वहां बिना फायर NOC के प्लाईवुड के बड़े-बड़े गौदाम भी संचालित है,जहाँ अगर कोई हादसा होता है तो उसकी भयावहता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता|

आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ आम बात

अब इस सड़क पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियाँ आम हो गयी है,अवैध निर्माणकर्ता अब इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि उसका निर्माण अवैध है,उसके अनुसार गोपालपुरा बायीं पास रोड व्यावसायिक है और उस पर निर्माण के लिए किसी एथोरिटी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है|जबकि नियमों के अनुसार बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियाँ अवैध है और जे.डी.ए.एक्ट की धारा 32,33,34 (क) के अनुसार सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संभव है|

कई तो सुविधा क्षेत्र में बने है अवैध निर्माण

इनमे से कई भूखंड तो स्थानीय कोओपरेटिव सोसाईटियों द्वारा काटी गयी स्कीमों के तहत सुविधा क्षेत्र में आते है जिनमे सांठ-गांठ कर सोसाईटी के पट्टे हासिल कर लिए गए है,और कई भूखंड खातेदारी के रूप में मौजूद है|इस रोड पर स्थित सूर्य नगर के सुविधा क्षेत्र में तो NIITJEE,PLUS POINT,MERITTO,EXTRAMARKS,TEACHERS ACEDMY जैसे बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान संचालित है|परन्तु " अंधेर नगरी चौपट राजा",वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सब कुछ खुले में चल रहा है|

बिना अनुमति आवासीय भूखंडों को जोड़कर बना रहे अवैध काम्प्लेक्स

इनमे से कई मामले ऐसे है कि जिनमे दो या दो से अधिक भूखंडों को बिना अनुमति जोड़ कर कोम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया है,और ठाट से कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जा रहा है|उदहारण बतौर 10-Bस्कीम में चल रहा ALLEN संस्थान इस बात का गवाह है|

राज्य सरकार ने बना रखी है कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालन हेतु गाईडलाईन्स

राज्य सरकार के आदेशानुसार शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों को अनुज्ञा सम्बंधित नगरीय निकाय द्वारा पालिका निकाय द्वारा जारी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति पत्र के आधार पर जारी की जायेगी|इस आदेश के अनुसार निम्न मानदंड जारी किये गए:-

- कोचिंग संस्थान के लिए 10 से अधिक विद्यार्थियों के होने पर राजकीय संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए|
- 10 से 100 विद्यार्थी होने पर ही यह नियम लागू,100 विद्यार्थियों से अधिक होने पर जे.डी.ए. के संस्थानिक बाय-लाज लागू|
- राज्य सरकार के नियमानुसार कोचिंग संस्थान 40 फीट रोड पर होना चाहिए|
- 300 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए|ऊँचाई ,एँफ़.ए.आर. तथा बेसमेंट प्रचलित संस्थानिक उपयोग के मानदंड के अनुसार होना चाहिए|
- प्रति विद्यार्थी 4 वर्ग मीटर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही पार्किंग प्रति 10 विद्यार्थियों पर एक ई.सी.यू.होनी चाहिए|छात्र-छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए|
- यह कोचिंग संस्थान आवासीय क्षेत्र में ना होकर मास्टर प्लान में दर्शित वाणिज्यिक/संस्थानिक/मिश्रित उपयोग हेतु चिन्हित भूखंडों पर ही संचालित होंगे|
- संस्थान के प्रत्येक कक्ष में आने-जाने के दो द्वार होने के साथ प्रत्येक तल पर प्रवेश व निकास हेतु दो सीढियों का होना अनिवार्य होगा|
- कार्नर के भूखंड और डेड एंड स्ट्रीट पर स्थित भूखंडों पर कोचिंग संस्थान अनुज्ञेय नहीं|
- सम्बंधित नगर पालिका/निगम में वर्णित अग्निशमन मानदंडों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए नहीं होने पर नोटिस देकर ऐसे भवनों की गतिविधियों पर रोक लगायी जाएँ|
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थान का निरिक्षण करने पर उनके अनापत्ति पत्र जारी होने पर ही ऐसी गतिविधियाँ नगरीय निकाय द्वारा अनुज्ञेय की जा सकेंगी|

कोचिंग संस्थानों के निर्माण/नियमन के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के मानदंड

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(193)नविवि/3/2009 पार्ट–II जयपुर दिनांक 28 MAY 2015

परिपत्र

विषय :– कोचिंग संस्थानों के निर्माण स्वीकृति/नियमन के संबंध में मानदण्ड।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोचिंग संस्थानों के निर्माण स्वीकृति/नियमन के संबंध में मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 (संशोधित) (जयपुर, जोधपुर एवं भिवाड़ी को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों के लिए) जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 एवं ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013 की तालिका–5 के क्रम सं. (8) के पश्चात् क्र. सं. (9) जोड़ा जाता है :–

क्र. सं.	उपयोग का प्रकार/भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल	न्यूनतम सैटबैक्स (मी.)				अधिकतम ऊंचाई	मानक एफ.ए.आर.
			सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे		
(9)	कोचिंग संस्थान न्यूनतम क्षेत्रफल 300 व.मी.	सैटबैक के अन्दर	भूखण्ड के क्षेत्रफल अथवा योजना अनुसार जो भी अधिक हो				12 मीटर	जो भी प्राप्त हो अथवा 1.33

टिप्पणी (12) – कोचिंग संस्थानों के मानदण्ड :–

परिभाषा :–

(क) कोचिंग सेन्टर: से कोई व्यक्ति, सोसायटी, ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किये जाने वाला शैक्षणिक केन्द्र जिसमें 10 से अधिक अभ्यार्थी अध्ययनकरते हो अभिप्रेत है जो सक्षम राजकीय संस्था से निजी शिक्षण (ट्यूशन) केन्द्र चलाने, स्थापित करने हेतु पंजीकृत हो।

1. निम्न मानदण्ड ऐसे कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे जिनमें 10 से अधिक परन्तु 100 तक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हो, जहां 100 से अधिक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हो में भवन विनियमों में संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवनों के मानदण्ड लागू होंगे।
2. सड़क मार्गाधिकार – न्यूनतम 40 फीट।
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल– न्यूनतम 300 वर्गमीटर तथा प्रत्येक अभ्यर्थी (एक पारी के विधार्थीयों की संख्या के आधार पर) हेतु न्यूनतम 4 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल (प्रोजेक्शन यथा छज्जा, बालकनी आदि के क्षेत्रफल के अलावा) होना आवश्यक है।
4. उँचाई– प्रचलित भवन विनियम की संस्थानिक उपयोग हेतु सम्बन्धित तालिका के अनुसार।
5. एफ.ए.आर.– भवन विनियम की संस्थानिक उपयोग हेतु सम्बन्धित तालिका के अनुसार।
6. बेसमेंट– प्रचलित भवन विनियम के अनुसार।
7. पार्किंग– अ) प्रति 10 अभ्यर्थियों पर एक ईसीयू।
   ब) कुल ईसायू का 25 प्रतिशत पार्किंग चौपहिया वाहन हेतु।
   स) कुल ईसीयू का 75 प्रतिशत दो पहिया वाहन हेतु।
   द) 25 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग (आगुन्तको हेतु)
8. अन्य मापदण्ड यथा सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, भवन संरचना एवं निर्माण आदि – प्रचलित भवन विनियम के अनुसार।
9. मास्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक/संस्थागत(शैक्षणिक)/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)/मिश्रित भू–उपयोग में अनुज्ञेय।
10. शिक्षण हेतु प्रयुक्त प्रत्येक कक्ष में आने व जाने का पृथक से द्वार होना अपेक्षित होगा तथा प्रत्येक तल पर प्रवेश व निकास हेतु दो सीढ़ियां (Stair case) का होना अनिवार्य होगा।
11. कॉर्नर के भूखण्डो पर जंक्शन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर कोचिंग संस्थान अनुज्ञेय नहीं होंगे।
12. Dead- end street पर स्थित भूखण्डो/भवनों में उक्त उपयोग अनुज्ञेय नहीं होंगे।
13. छात्र व छात्राओं हेतु अलग–अलग शौचालय होना अनिवार्य है।
14. कोचिंग सेन्टरों हेतु प्रस्तावित भवनो में समीपस्थ नगर पालिका में वर्णित अग्निशमन सम्बन्धित समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
15. वर्तमान में संचालित कोचिंग सेन्टर यदि भवन विनियम में वर्णित अग्निशमन सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना नही करते हैं उन्हें निर्धारित समयावधि का नोटिस देते हुए ऐसे भवनों में ऐसी गतिविधि पर नगर निकाय द्वारा रोक लगाई जावे।
16. कोचिंग सेन्टर हेतु प्रस्तावित भवन में विधार्थियों हेतु केन्टीन, कोचिंग कार्यालय, स्टाफ रुम आदि तत्सम्बन्धी गतिविधियां अनुज्ञेय होगी।
17. जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग सेन्टर का स्थल परीक्षण कर इनमें संचालित कक्षाओं के क्षेत्रफल, आकार, बैठने की व्यवस्था, कोचिंग सम्बन्धित सुविधायें, जलापूर्ति, विधुत आपूर्ति इत्यादि के आधार पर कोचिंग संचालको को दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही ऐसी गतिविधि नगर निकायों द्वारा अनुज्ञेय की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
28/5/15
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

28/5/15
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

लीज मनी जमा नहीं

लीज मनी किसी भी निकाय की आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया है,जे.डी.ए. की भी करोड़ों रूपये की लीज मनी इस 160 फीट गोपालपुरा बाईपास रोड पर चल रहे इन सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स,होटल्स और अन्य अनेक देनदारों से बकाया चल रही है|पहले जे.डी.ए. के पास अधिकार नहीं होने से यह पैसा वसूल नहीं हो पा रहा था,परन्तु अब पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत अधिकार मिलने से जे.डी.ए. को लीज डिफोल्टरों से बकाया राशि वसूलने की उम्मीद है|मंदी और खाली खजाने से जूझते जे.डी.ए. के लिए यह बेहतरीन मौका है,परन्तु फिर भी इसके लिए कोई गंभीर प्रयास परिलक्षित नहीं हो रहे है और जो पैसा मोटे राजस्व के रूप में जे.डी.ए. के खाली पड़े खजाने में जाना चाहिए था वो भूखंडधारियों और जे.डी.ए. अधिकारियों की मिलीभगत से अधिकारियों की जेबों में जा रहा है|

नगर निगम की फायर NOC हेतु आवश्यक दस्तावेज

- फायर NOC हेतु, आवेदक द्वारा प्रस्तुत एप्लीकेशन|
- फायर NOC हेतु, आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिल्डिंग के अप्रूव्ड मानचित्रों की प्रतिलिपि|
- स्थल की व स्थल पर लगे अग्निशामक यंत्रों की फोटो एवं सूची की प्रतिलिपि|
- स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि|
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत यूडी टेक्स की रसीद की प्रतिलिपि|
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत लीज मनी रसीद व सीवरेज मनी की रसीद की प्रतिलिपि|
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत फायर प्रीवेन्शन ले आउट प्लान की प्रतिलिपि|
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की प्रतिलिपि|
- फायर शाखा द्वारा इस बिल्डिंग हेतु जारी फायर NOC
- आवेदक का फोटो व आई.डी.|

यू.डी. टेक्स जमा नहीं

इसी तरह नगर निगम का भी करोड़ों रूपये का यू.डी.टेक्स जमा नहीं है,कभी कभी सख्त कार्यवाही करने पर ही नगर निगम इसकी वसूली कर पाती है|फायर NOC के लिए इन दोनों राशियों का जमा होना जरुरी है,परन्तु जानकारी में आया है कि कई संस्थानों,जिन्होंने यह दोनों राशि जमा नहीं करवाई है,जिनके नक़्शे तक अनअप्रूव्ड है,यहाँ तक कि ऐसे कोचिंग संस्थान जो सुविधाक्षेत्र की भूमि पर संचालित है,उन्हें भी मिलीभगत के चलते फायर NOC मिली हुई है|जो कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है|

प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के चलते सूरत अग्निकांड जैसे भीषण हादसों के इन्तजार में है जयपुर शहर

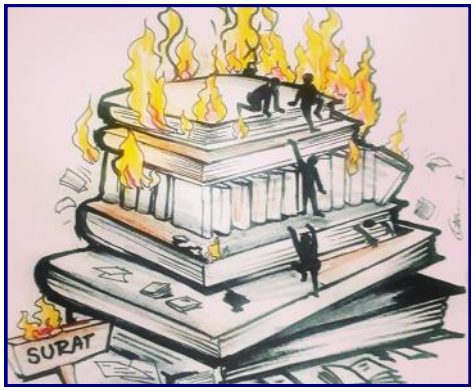

हाल ही में हुए सूरत हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है|इस दिल दहला देने वाले हादसे में कई बच्चों की जाने गयी और कई घायल हुए|जांच में पता चला कि जिस कोचिंग संस्थान में यह भीषण हादसा हुआ वह बिना नगरीय निकाय की अनुमति के संचालित किया जा रहा था,आपातकालीन द्वार नहीं होने से बच्चों को जान बचाने के लिए बिल्डिंग के चौथे माले से कूदना पडा जिसके चलते यह लापरवाही गैर आदतन हत्या के मामले में तब्दील हो गयी|

इस भीषण हादसे से सबक लेते हुए देश के सभी शहरों में जांच के नाम पर खानापूर्ति होने लगी जिसमें परंपरा के नाम पर जांच कमिटियाँ बैठाई गयी|

इस भीषण हादसे के बाद हमारे यहाँ भी प्रशासन हरकत में तो आया था,लेकिन कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर सका,नगर निगम की टीमों ने गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे कोचिंग संस्थानों का निरिक्षण किया,कुछ को नोटिस दिए,कार्यवाही नहीं करने के लिए मोटा पैसा खाया और दफ्तर जाकर फाईल दबा कर बैठ गए|

दर्दनाक हादसा : करीब 50 बच्चे पढ़ रहे थे टॉप फ्लोर पर, अचानक लगी आग

सूरत के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में आग, जान बचाने को कूदे बच्चे, 19 की मौत

घबराहट में कई छात्रों ने लगाई चौथी मंजिल से छलांग

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

सूरत . गुजरात के सूरत शहर में शुक्रवार दोपहर तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। दम घुटने से 19 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल, आग की चपेट में कॉम्प्लेक्स के टॉप फ्लोर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थी आ गए। आग लगने के बाद बच्चों ने जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से छलांग लगानी शुरू कर दी। इससे 15 छात्र घायल हैं, इनमें से तीन की हालत गंभीर है।

बताया जा रहा है कि करीब 50 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। इस घटना में फंसे बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। यह इमारत मुंबई-अहमदाबाद हाइवे के पास सरथना इलाके में स्थित है। तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें और कोचिंग सेंटर हैं। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कई छात्र बिल्डिंग से कूदते दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्रों की मौत आग से झुलसने और कुछ की मौत घबराहट में इमारत से कूदने के कारण हुई।

फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंची। उन्होंने कई घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।

(जयपुर में भी हालात ठीक नहीं @ पेज 02)

गुजरात के सूरत स्थित तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश करती दमकल की गाड़ियां और मौके पर जमा भारी भीड़।

आग से बचने के लिए कई छात्र इमारत से कूद गए।

स्कैन करें...आग की घटना से संबंधित वीडियो देखने के लिए। patrika.com

लड़कियां टीन की छत पर कूदीं

इलाके में कपड़ा बाजार में कारोबारी एक प्रत्यक्षदर्शी विजय मंगुकिया के मुताबिक, आग शाम साढ़े चार बजे के आसपास लगी। सबसे पहले इमारत की छत से धुआं उठता देखा और फिर आग फैल गई। संभवत: छत थर्मोकोल की बनी हुई थी। इमारत में ट्यूशन की कक्षाएं चलती थीं। विजय के मुताबिक, उन्होंने कुछ लड़कियों को तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर टीन की छत पर कूदते देखा।

आधे घंटे बाद पहुंची दमकल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां आग लगने के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचीं। लेकिन उस वक्त उनके पास जरूरी उपकरण नहीं थे जिनके जरिए आग में फंसे बच्चों को बाहर निकाला जा सके। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त बच्चे इमारत से छलांग लगा रहे थे उस वक्त दमकल सामने खड़ी थी। लेकिन उनकी सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं।

पीएम ने जताया दुख

मारे गए लोगों के परिजनों को गुजरात सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शोक जताया। घटना के जांच के आदेश दिए हैं।

GARNI

कोचिंग सेंटर की सुरक्षा का मामला

निगम की टीम ने सात सेंटरों को दिए फायर एनओसी के नोटिस

जयपुर | नगर निगम सतर्कता शाखा ने मंगलवार को गोपालपुरा इलाके में संचालित कोचिंग सेंटरों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनों का औचक निरीक्षण किया। निगम कमिशनर विजयपाल सिंह के निर्देश पर कोचिंग सेंटरों पर जाकर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन में व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति, यातायात अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की जांच की गई। इनमें से 7 कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिलने और स्वीकृति के विपरीत निर्माण पाए जाने पर नोटिस थमाया गया है। उपायुक्त सतर्कता राजीव दत्ता ने बताया कि टॉपर चॉइस कोचिंग सेन्टर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, विनायक कोचिंग संस्थान, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, साईस पाइंट कोचिंग सेन्टर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, सीएसी इन्स्ट्रीयूट, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, गारनेट क्लासेज गोपालपुरा बाईपास, आकाश क्लासेज गोपालपुरा बाईपास, विद्या मन्दिर क्लासेज गोपालपुरा बाईपास, इनोवेशन इन्स्ट्रीयूट, गोपालपुरा बाईपास, कैरियर पाइंट गोपालपुरा बाईपास पर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन में व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

अतिक्रमण भी हटाए गए

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार फायर एवं व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति नहीं पाये जाने पर कोचिंग संचालकों को शीघ्र ही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन में व्यावसायिक गतिविधि के दस्तावेज तैयार कर पेश करने को पाबंद कर नोटिस दिए गए एवं कोचिंग संचालकों को बताया गया कि समय सीमा में पूर्ति नहीं होने पर कोचिंग सेन्टर सीज कर दिया जाएगा। मौके पर कोचिंग ले रहे छात्र-छात्राओं को आग लगने की स्थिति में फायर ड्रिल, निकासी द्वार, फायर फाइटिंग सिस्टम व अन्य बचाव के उपाय बताए गए हैं। तथा कोचिंग सेंटरों के बाहर होने वाले अस्थाई अतिक्रमणों को भी हटवाया गया।

नगर से आये विमलेश शर्मा ने कहा कि

वर्षों से सोता रहा

अब कार्रवाई करेगा निगम

जयपुर @ पत्रिका. सूरत के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने और कोचिंग सेंटर के कई बच्चों की मौत के बाद आखिरकार जयपुर नगर निगम की नींद टूटी है। वर्षों से अनदेखी कर रहे नगर निगम की टीम सोमवार से अभियान के रूप में कार्रवाई शुरू करेगी।

निगम की सतर्कता शाखा और यातायात पुलिस की टीम कोचिंग सेंटरों पर जाकर फायर व अनापत्ति प्रमाण पत्र, व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति, आदि की जांच करेगी। नोटिस देकर सेंटरों को सीज भी करेगी। कोचिंग सेंटरों के बाहर अस्थाई अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या का समाधान भी ढूंढा जाएगा। छात्र-छात्राओं को आग से बचने संबंधी जानकारी दी जाएगी।

सूरत जैसी लापरवाही यहां भी : बहुमंजिला भवन तो खड़े कर दिए, फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ जुगाड़

राजस्थान में भी आग से मल्टीस्टोरी और कोचिंग-हॉस्टल असुरक्षित

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. सूरत हादसे में सामने आई लापरवाही जैसे हालात राजस्थान में भी हैं। प्रदेश में कई बहुमंजिला इमारतें, कोचिंग सेंटर व हॉस्टल आग से असुरक्षित हैं। यहां आग कभी भी प्राण संकट में डा... भवनों में अ... इंतजाम नहीं... के दौरान फा... पर एनओसी... लेकिन बाद... बहुमंजिला भ... तरफ ध्यान न...

सीकर में स्वीकृति बिना बनीं 100 इमारतें

सीकर. शहर के विस्तार के साथ बहुमंजिला भवनों की संख्या भी बढ़ रही है। आवासीय, व्यवसायिक अपार्टमेंट, होटल और अस्पतालों के ...ादा बहुमंजिला ... तीन वर्ष पहले ...मने आया था कि ...क भवनों में ...की पालना नहीं की ...ने सर्वे के बाद ...ए, लेकिन कड़ाई

ज्यादातर ने नहीं ले रखी फायर सेफ्टी एनओसी

जोधपुर. जोधपुर नगर निगम प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण शहर में हजारों रहवासीय व कॉमर्शियल मल्टीस्टोरी खतरे का सबब बनी हुई हैं। आग जैसी आपदाओं से निबटने के लिए अधिकांश स्थलों पर बचाव के लिए कोई सुविधा व संसाधन तक नहीं है। कई बहुमंजिला इमारतों ने नगर निगम

सरकार के आदेश के बाद भी नहीं हुई फायर ऑडिट

कोटा. शहर के हॉस्टल, मैस और मल्टीस्टोरी भवन आग से बचाव की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं। नगर निगम ने पिछले दिनों करीब 70 मल्टीस्टोरी इमारतों की फायर ऑडिट की थी, इसमें 90% इमारतों में फायर उपकरण चालू नहीं मिले। शहर में डेढ़ सौ से अधिक हॉस्टल ... नहीं ... गैस ... हैं।

मानसरोवर, गोपालपुरा

कोचिंग सेंटरों में नहीं मिली पुख्ता व्यवस्था

खानापूर्ति : निगम बोला जल्द पेश करो दस्तावेज

जयपुर@ पत्रिका. सूरत के कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड के बाद जयपुर में कोचिंग सेंटरों और बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ अभियान तो चलाया, मगर निगम अधिकारी खानापूर्ति कर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को तीसरे दिन मानसरोवर और गोपालपुरा बायपास इलाके में कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। यहां कोचिंग सेंटरों में फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन में व्यावसायिक गतिविधि की स्वीकृति, यातायात अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिले। इसके बाद निगम अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई बजाय उन्हें और समय दिया है और जल्द दस्तावेज पेश करने को कहा। फायर शाखा के अधिकारियों ने कोचिंग में छात्र-छात्राओं को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय भी बताए।

कोचिंग सेंटर की सुरक्षा • लकडी की सीढियां देख हिदायत दी

आने-जाने का एक ही गेट मिला तो निगम बोला- बिल्डिंग सेफ बनाओ

जयपुर | नगर निगम ने बुधवार को गोपालपुरा के कोचिंग सेंटरों पर फायर एनओसी, भवन में व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति एवं यातायात अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच की। किसी के पास भी फायर एनओसी नहीं मिली। उपायुक्त सतर्कता राजीव दत्ता ने बताया कि टैक्नोग्लोब कोचिंग सेन्टर फायर सिस्टम लगा हुआ नहीं पाया गया। इसी तरह चिन्मय ट्यूटोरियल्स आने जाने का एक ही रास्ता था, जिसमें बिजली की केबल खुली पड़ी मिली और रास्ते में ही बिजली के मीटर बॉक्स मिले गए। एलिन इन्स्टीयूट, एनआईटी जेईई एकेडमी में भीतर जाने का रास्ता लकड़ी का बना हुआ था और सीढियां तक लकड़ी की बनाई हुई थी। प्लस

पाइंट कोचिंग सेन्टर, मैरिटो कोचिंग सेन्टर, एक्स्ट्रा मार्क्स कोचिंग सेन्टर और के.डी. कैम्पस पर फायर सिस्टम प्रॉपर नहीं था। अधिकतर भवन मालिकों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र व व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति के कोई दस्तावेज नहीं दिखाएं जिसकी वजह से नोटिस जारी किए गए हैं। राजीव दत्ता ने बताया कि कोचिंग संचालकों को बता दिया कि समय पर एनओसी नहीं लेने वाले कोचिंग सेन्टर सीज कर दिए जाएंगे।

दैनिक भास्कर, मंगलवार, 28 मई 2019

सूरत की घटना से सबक लें जयपुर के कोचिंग सेंटर

एक्शन ऑफ द डे- 9 कोचिंग सेंटरों की जांच...सुधार की नसीहत देकर लौटे

निगम ने शनिवार को 24 कोचिंग सेंटर को नोटिस दिए थे, कमिश्नर ने सीएफओ ने जवाब मांगा

सिटी रिपोर्टर, जयपुर

सूरत हादसे के बाद जयपुर में कोचिंग सेंटर सुरक्षित होंगे?

नगर निगम की कोशिश

इन 9 सेंटर्स पर पहुंची टीम

...और जेडीए का प्रयास

निरीक्षण के लिए 8 टीमों का गठन

कलेक्टर ने कोचिंग की चेकिंग के लिए एडीएम की टीम बनाई

तापमान : अधिकतम 39.9°c, न्यूनतम 26.6°c

जयपुर, रविवार, 26 मई, 2019 SUNDAY राजस्थान पत्रिका

सूरत दुखांतिका के बाद भी खानापूर्ति में जुटे हैं जिम्मेदार

आदेश : 3 दिन का अल्टीमेटम, मौखिक एडवाइजरी
हकीकत : 24000 प्रतिष्ठान में बचाव के उपाय नहीं

फायर एनओसी बिना ही चल रहे सैकड़ों प्रतिष्ठान : स्वायत्त शासन विभाग हुआ सक्रिय

1 सरकार के निर्देश
28 तक रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम

2 कलक्टर
कल लिखेंगे पत्र

कदम-कदम पर तनी हैं खतरे की इमारतें

बेसमेंट में लाइब्रेरी

निर्देश के बाद फायर ड्रिल-सर्वे

इधर, जवाब मांगते सवाल: एनओसी की अनिवार्यता, फिर भी कैसे हो रहा संचालन

फायर एनओसी इन्हें लेना अनिवार्य

ये भी जद में

ये जिम्मेदार
नगर निगम व जेडीए की जिम्मेदार मुख्य रूप से है। इसके अलावा उद्योग विभाग, पुलिस प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी शामिल है।

पत्रिका Sun, 26 May 2019 epaper.patrika.com/c/39746437

पत्रिका सिटीजन

जयपुर, मंगलवार, 28 मई, 2019

कोचिंग संस्थानों का मामला

खानापूर्ति के लिए 'जागा' निगम, 2 किमी दायरे से आगे नहीं बढ़ा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

एक कोचिंग सेंटर जिसमें पिछले दिनों आग लगी थी।

बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम के ऐसे हाल मिले।

न फायर एनओसी, न बचने की राह

मिलीं गम्भीर खामियां, नहीं की कार्यवाही

न निगम गम्भीर, न कोचिंग संस्थान

परिजन चिंतित, खुद ही पहुंच गए निगम

यहां गई टीम

रोज देखेगी 10 संस्थान

500 से अधिक नोटिस

जेडीए ने गठित की टीम

राजीव दत्ता, उपायुक्त (सतर्कता)

पत्रिका Tue, 28 May 2019 epaper.patrika.com/c/39814867

यहां हाईकोर्ट आदेश से भी नहीं बदली सूरत, गुजरात में फायर सेफ्टी ऑडिट की तैयारी

मॉल-मल्टीस्टोरी में धधक रहा आग का डर, कोर्ट के आदेश का अता-पता नहीं

सूरत की घटना के बाद प्रशासन ने यहां मॉक ड्रिल की

रिजर्व बैंक में आग : चौथी मंजिल पर फंसे, रस्सी की मदद से बाहर निकाला!

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

रेंगकर चलने लगा यातायात

शहर में और भी ऐसे स्थान, जहां मॉक ड्रिल की जरूरत

आग लगी तो ये कारण होंगे जिम्मेदार

पत्रिका Sat, 01 June 2019 epaper.patrika.com/c/39939461

नगर निगम, जेडीए, आवासन मण्डल को जारी की एडवाइजरी

कलक्टर के आदेश, रोज करो प्रतिष्ठानों की जांच

हर 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, कलक्टर खुद भी देखेंगे हकीकत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लगेगा जागरूकता शिविर

अवैध कोचिंग सेंटरों पर कसा जाएगा शिकंजा

यों होती रही इतिश्री

फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए यह जरूरी

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए नियम तो बनाए मगर पालना कराने में सरकार फेल

नियम विपरीत बनी इमारतों में चले रहे 95% कोचिंग सेंटर, सांसत में बच्चों की जान

अधिकतर के पास फायर एनओसी तक नहीं

सूरत में हुए हादसे के बाद फिर गहराए सवाल

आग से हादसों के बाद भी नहीं चेतते जिम्मेदार

यहां लगी थी आग, फिर भी नहीं चेते

शहर में हर कदम पर नियमों का हो रहा उल्लंघन

बुटीक में लगी आग

गफलत : समाधान नहीं सुझाए

पत्रिका Sat, 25 May 2019

बिना फायर NOC के चल रहे है कोचिंग संस्थान

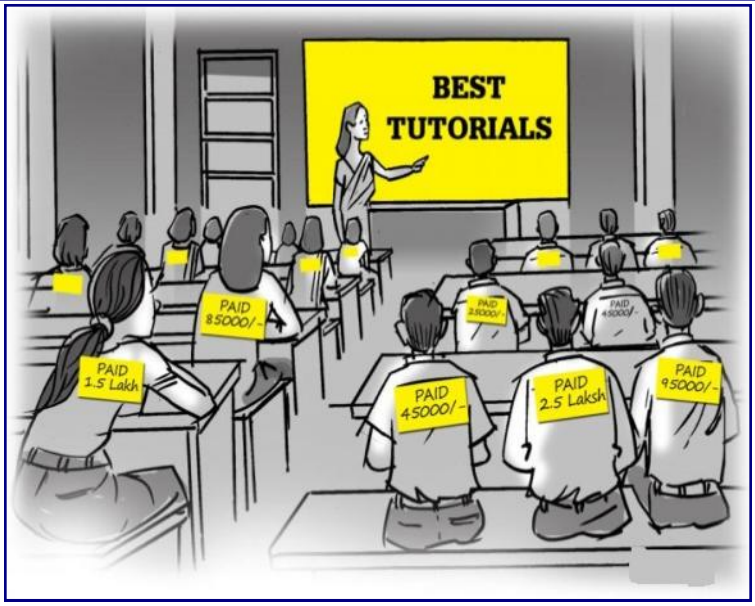

गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे कोचिंग संस्थानों में हजारों बच्चे रोज पढाई के लिए आते है|परन्तु इतनी संख्या होने के बावजूद इन कोचिंग संस्थानों में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है|इनमे से अधिकांश के पास फायर NOC नहीं है,जिनके पास है, उनके फायर उपकरण नाकारा और पुराने हो चुके है|फायर अधिकारी के नाम पर खानापूर्ति है|कईयों ने तो मिलीभगत के बिना अनुमोदित मानचित्रों के ही NOC हासिल कर रखी है|

लाईन ऑफ़ एक्शन

- जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में **" कोचिंग संस्थाओं की निगरानी हेतु सतर्कता समिति"** का गठन किया जाए जिसमे कोचिंग संस्थानों से सम्बंधित सभी विभागों के अधिकारी सदस्य होवें|
- इस कमिटी की मासिक बैठके आयोजित की जाए तथा सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाकर अवैध/बिना अनुमति/फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाए|
- आज तक जिन प्रतिष्ठानों को फायर NOC जारी की गयी है ,उनकी जांच की जाए,बिना मानदंड पूरा किये,फायर NOC जारी करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए एवं ऐसे संस्थानों को अविलम्ब सील किया जाये|

निगम की जाँच में निम्न तथ्य प्रमुखता से सामने आये है:-

- अधिकांश संस्थानों के पास निगम की फायर NOC नहीं|
- अधिकांश संस्थानों में आपातकालीन द्वार नहीं|
- क्लासों के पार्टीशन फाईबर बोर्ड व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने हुए|
- कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्षमता से अधिक|
- संस्थानों में काम में आने वाले विद्युत उपकरण घटिया क्वालिटी के|
- पार्किंग की सुविधा नहीं अधिकांश की पार्किंग सड़क पर|
- कर्मचारी आग बुझाने के लिए एवं आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित नहीं|
- सेटबैक के अभाव में,हादसा होने पर दमकल कर्मियों के जाने की जगह नहीं|
- कई कोचिंग बेसमेंट में संचालित है,जो कि प्रचलित संस्थानिक नियमों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं |

- कोचिंग के मानदंडों की पालना नहीं करने वाले/अवैध/अनधिकृत बने हुए/आवासीय भूखंडों में बिना अनुमति चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों को तुरंत बंद करवा कर सील किया जाए|
- लीज मनी,यू.डी.टेक्स की सख्ती से वसूली कर नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि की जाए,वसूली में ढ़िलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए|

क्रमांक	जिम्मेदारी	विभाग	जिम्मेदार अधिकारी
1.	भू-उपयोग परिवर्तन(आवासीय से व्यवसायिक/संस्थानिक)	जे.डी.ए./नगर निगम	आयुक्त/सम्बंधित ज़ोन का उपायुक्त
2.	बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही	जे.डी.ए./नगर निगम	सम्बंधित ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी /उप नियंत्रक/मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
3.	लीज राशि की वसूली	जे.डी.ए./नगर निगम	आयुक्त/सम्बंधित ज़ोन का उपायुक्त
4.	यू.डी. टेक्स की वसूली	नगर निगम	आयुक्त/सम्बंधित ज़ोन का उपायुक्त
5.	किसी व्यावसायिक भवन में कोचिंग संचालन की अनुज्ञा	जे.डी.ए./नगर निगम	आयुक्त/सम्बंधित ज़ोन का उपायुक्त
6.	फायर NOC	नगर निगम	उपायुक्त (फायर) , मुख्य अग्निशमन अधिकारी
7.	कोचिंग संस्थान की मान्यता,छात्रों की संख्या,बैठक व्यवस्था,आदि से सम्बन्धित अनुज्ञा	शिक्षा विभाग	जिला शिक्षा अधिकारी
8.	हादसों/आपदाओं से बचाव/रोकथाम	जिला कलेक्टर कार्यालय	सम्बंधित अति.कलेक्टर/आपदा प्रबंधन अधिकारी
9.	यातायात व्यवस्था,पार्किंग सम्बन्धी	पुलिस आयुक्तालय	ट्रेफिक पुलिस
10.	अपराध,नशीले पदार्थों की बिक्री,होस्टलों में रह रहे छात्र-छात्राओं का वेरिफिकेशन	पुलिस आयुक्तालय	स्थानीय थानाधिकारी
11.	आबकारी नियम 75 के अनुरूप शिक्षण संस्थानों के पास शराब की दुकानों का संचालन	आबकारी विभाग	जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक
12.	मैस/केन्टीन/रेस्टोरेंट/होटलों में बिकने वाली खाद्य सामग्रियों की जांच	चिकित्सा विभाग	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(CMHO)

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

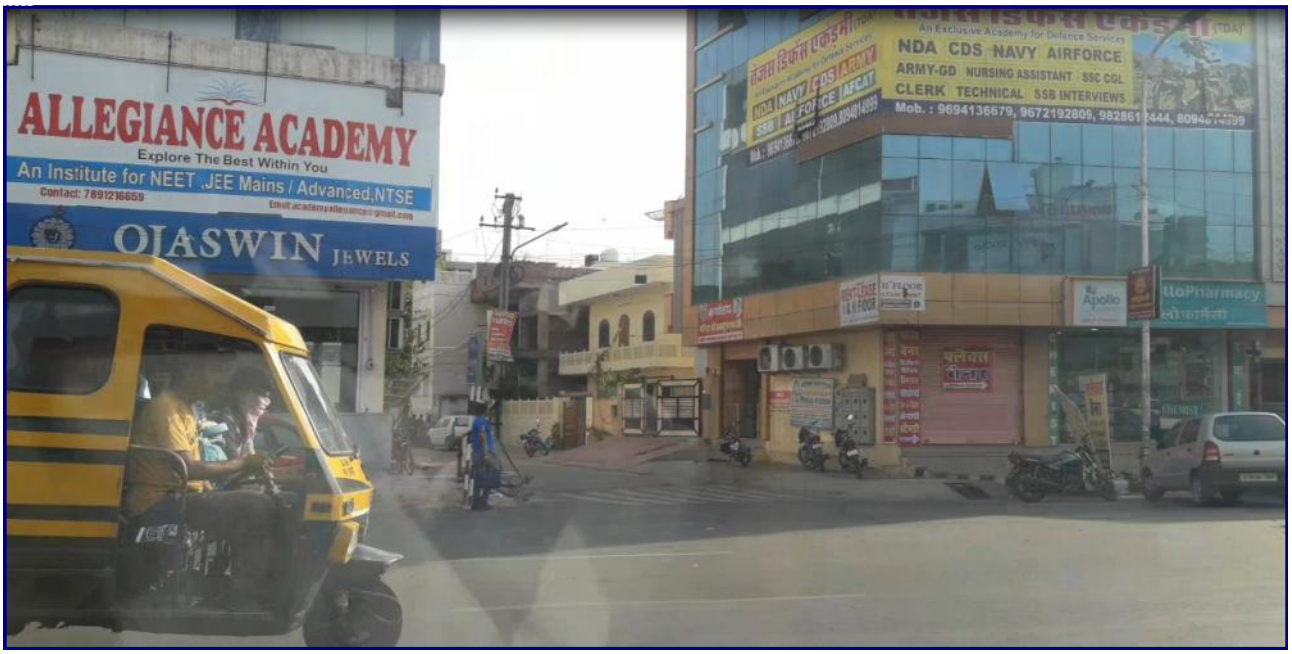

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

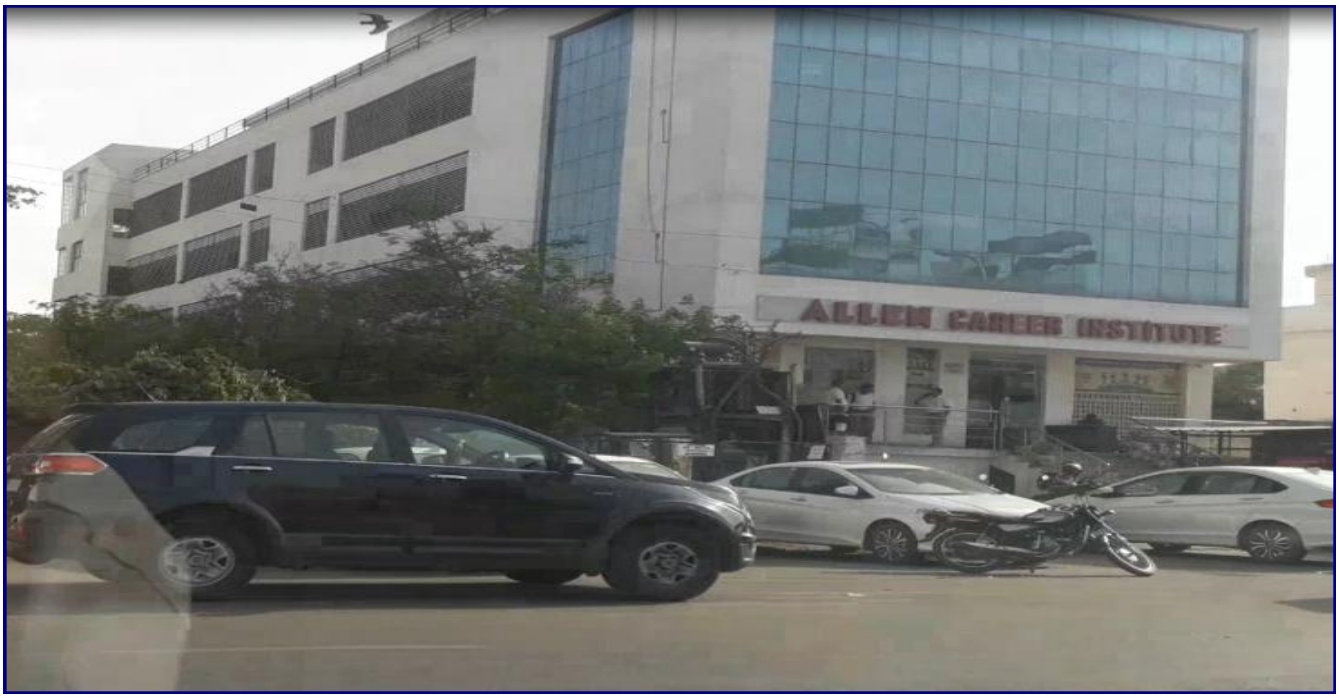

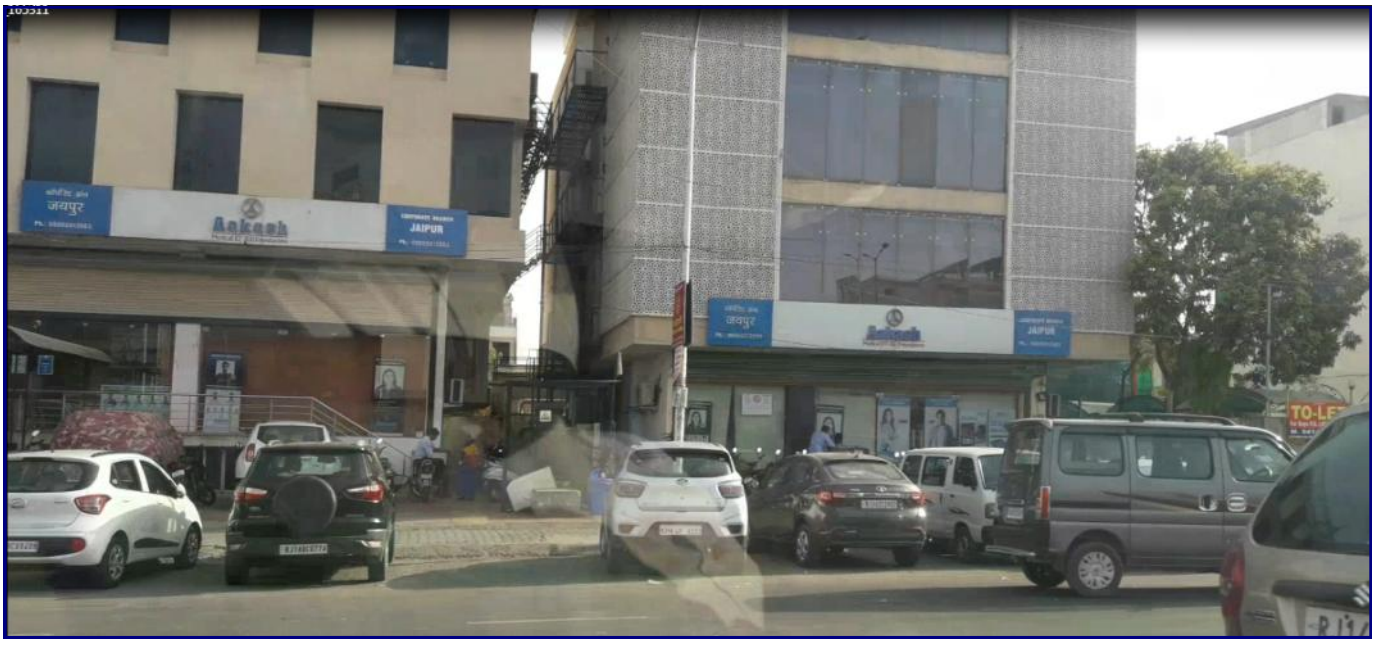

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान

160 फीट चौड़ी गोपालपुरा बायपास रोड पर चल रहे कोचिंग संस्थान